आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

आपूर्ति पुनरीक्षण वाद सं0-37/2023

जितेन्द्र प्रसाद यादव

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

26.04.2024

आदेश

प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 6614/2021 में दिनांक 28.01.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर लाया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नलिखित है:-

"........Considering the facts and circumstances, this application is disposed of with a liberty to the petitioner to approach the competent/ statutory authority by making an application/ representation. If the same is done within four weeks from today, the Court expects the competent statutory authority to consider the petitioner's representation with utmost expedition and decide the same in accordance with law. "

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि जिला-गोपालगंज अन्तर्गत अनुमंडल-गोपालगंज सदर, प्रखंड-बैकुण्ठपुर, ग्राम पंचायत-दिघवा दुबौली उत्तर, आरक्षण कोटि-अनारक्षित रोस्टर बिन्दु-753 के लिए नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया। उक्त के आलोक में आवेदक जितेन्द्र प्रसाद यादव, पिता-सुकेश्वर प्रसाद यादव एवं विपक्षी सं0-04 सत्य नारायण साह, पिता-त्रिलोकी साह सहित अन्य अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए गए। प्राप्त आवेदनों के आधार पर औपबंधिक वरीयता सूची तैयार किया गया, जिसमें आवेदक जितेन्द्र प्रसाद यादव पिता-सुकेश्वर प्रसाद यादव क्र0सं0-02 पर तथा विपक्षी सत्य नारायण साह पिता त्रिलोकी साह क्रम सं0-03 पर रहें। औपबंधिक वरीयता सूची का प्रकाशन कर उक्त के संबंध में अभ्यर्थियों से दावा-आपत्ति की मांग की गयी। आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया। वरीयता सूची के क्रम सं0-03 पर स्थित सत्य नारायण साह के पक्ष में नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसा की गयी।

उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक जितेन्द्र प्रसाद यादव, पिता-सुकेश्वर प्रसाद यादव द्वारा न्यायालय समाहर्ता, गोपालगंज के समक्ष नई अनुज्ञप्ति हेतु विविध अपील सं0-03/22 दायर किया गया। वाद की सुनवाई के पश्चात दिनांक 22.11.2022 को पारित आदेश में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना जो ज्ञापांक 3223 खाद्य, पटना, दिनांक 21.07.2022 द्वारा संसूचित है, के कंडिका सं0-2(iv) के अनुसार प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद दायर

Scanned with OKEN Scanner

करने को निदेशित किया गया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता-उपस्थित। विद्वान सरकारी अधिवक्ता-उपस्थित। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता-अनुपस्थित। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि प्रश्नगत रोस्टर बिन्दु पर नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर तैयार औपबंधिक मेधा सूची के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक मेघा सूची के क्रम सं0-02 पर रहे है। उनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक तथा कम्प्यूटर योग्यता A.D.C.A है तथा वे दिव्यांग श्रेणी में आते है, परंतु उक्त पर विचार न करते हुए गलत ढंग से विपक्षी सं0-04 के पक्ष में पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसा कर दी गयी है।

उक्त के आधार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि आवेदक के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय तथा उनके पक्ष में नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु हेतु अनुशंसा किया जाय।

4. विपक्षी को नोटिश का तामिला कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 255/v, दिनांक 03.10.2023 द्वारा जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा से अनुरोध किए जाने का साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है। विपक्षी सुनवाई में अनुपस्थित है अतएव, उनका पक्ष नही जाना जा सका है।

5. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा वाद के बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1222/खा0, दिनांक 08.03.2017, विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक सं0-1750, दिनांक 10.03.2016 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-963, दिनांक 20.01.2016 एवं परिपत्र सं0-2342, दिनांक 15.02.2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में गोपालगंज जिलान्तर्गत अनुमंडल-गोपालगंज सदर, प्रखंड-बैकुण्ठपुर, ग्राम पंचायत-दिघवा दुबौली उत्तर, रोस्टर बिन्दु-753 पर अनारक्षित के लिए नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन की मांग की गयी। प्राप्त आवेदनों के आधार पर औपबंधिक मेघा सूची का निर्माण किया गया, जिसमें क्र0 स0-02 पर आवेदक जितेन्द्र प्रसाद यादव तथा क्र0स0-03 पर विपक्षी सत्य नारायण साह रहे है। क्र0सं0-01 पर रहे राजु कुमार पाण्डेय, पिता-हृदयनंद पाण्डेय का रोस्टर बिन्दु सं0-751 के लिए नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसित किया जा चुका है। जिसके बाद रोस्टर बिन्दु 753 के लिए क्रम सं0-02 एवं 03 पर अंकित आवेदक की योग्यता निम्नांकित हैः-

अभ्यर्थी का नाम	जन्मतिथि	मैट्रिक का प्राप्तांक/प्रतिशत	कम्प्यूटर योग्यता	उच्चतर शैक्षणिक योग्यता
जितेन्द्र कुमार यादव	16.04.1974	482/53.55%	ADCA	स्नातक
सत्य नारायण साह	29 वर्ष (आवेदन पत्र के अनुसार)	-	BE(IT)	BE

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता जितेन्द्र प्रसाद यादव की जन्मतिथि 16.04.1974, कम्प्यूटर योग्यता ADCA तथा उच्चत्तर शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। विपक्षी सत्य नारायण साह की मैट्रिक प्राप्तांक प्रतिशत का कॉलम खाली है। उनकी जन्मतिथि का अंकण स्वीकृत आवेदन की वरीयता सूची में नही किया गया है। उक्त सूची के अवलोकन में उभय पक्ष की न्यूनतम शैक्षणिक एवं कम्प्यूटर योग्यता समान है। ऐसी स्थिति में बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 9(v) के आलोक में अपीलकर्त्ता जितेन्द्र प्रसाद यादव का प्रश्नगत रोस्टर बिन्दु पर नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु चयन किया जाना समुचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त वर्णित कारण से प्रखण्ड-बैकुण्ठपुर, पंचायत-दिघवा दुबौली उत्तर रोस्टर बिन्दु अनारक्षित के पद पर विपक्षी सत्य नारायण साह के चयन को विभागीय नियमो के प्रतिकूल पाते हुए उसे निरस्त किया जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद को स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with OKEN Scanner